

पेपर लीक के विरोध में एमपी में बवाल

भोपाल, 24 जुलाई. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन की गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है.

शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में छात्र संगठनों, एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली, धरना-प्रदर्शन और विरोध मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कई स्थानों पर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति भी बनी. इंदौर के टंटया भील चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ढोल-मंझीरे के

कई शहरों में रैली-धरना और रीवा-सतना में पुलिस से झड़प



साथ विरोध जताते हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे की मांग की. भोपाल में बोर्ड ऑफिस के सामने छात्रों ने धरना

दिया और हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी,

छात्रों ने किया चार किलोमीटर पैदल मार्च

नर्मदापुरम में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी के आवास के सामने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया. पुलिस द्वारा पुतला छीनने का प्रयास किए जाने पर कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला लेकर सड़क पर दौड़ पड़े. वहीं श्योपुर में छात्र चार किलोमीटर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और दो घंटे तक धरना दिया.

आंदोलन जारी रहेगा.

रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया. सतना में कांग्रेस और

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचने की कोशिश की, जहां बैरिकेड्स हटाने को लेकर पुलिस से धक्का-मुक्की हुई. बैतूल में अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई.

एक नजर में 7 वर्षों से फरार वारंटी मथुरा से गिरफ्तार

ग्वालियर . 7 वर्षों से फरार 10 हजार रुपये के इनामी स्थाई वारंटी को ग्वालियर पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है. एसएसपी ग्वालियर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने वृंदावन क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की. विशेष न्यायाधीश पौक्सो अधिनियम एवं एकादश अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा आरोपी संजु उर्फ राहुल दुबे के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. आरोपी की गिरफ्तारी करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) डॉ. शिवेश सिंह बघेल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था तथा आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था.

निर्देश: असवार थाने में दुर्घर्म का मामला दर्ज

भिण्ड, जिले के लहार अनुभाग अंतर्गत असवार थाना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद एक व्यक्ति के विरुद्ध दुर्घर्म का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जैतपुरा गांव की महिला ने आरोप लगाया कि 16 जून को गांव के रमेश कौरव, जितेंद्र कौरव, विनोद कौरव और राजू कौरव ने उसके साथ मारपीट की तथा जातिसूचक गालियां दीं. महिला का आरोप है कि जब वह घटना की शिकायत दर्ज कराने असवार थाने जा रही थी, उसी दौरान आरोपी रमेश कौरव ने उसके साथ दुर्घर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी.

मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं का विस्तार

3 साल में शुरू हुई 33 जोड़ी नई ट्रेनें

भोपाल, 24 जुलाई. मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए भारतीय रेल लगातार नेटवर्क का विस्तार कर रही है. रेलवे ने राज्य में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2026 तक कुल 33 जोड़ी नई ट्रेनें का संचालन शुरू किया है. इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, मेमू और पैसंजर ट्रेनें शामिल हैं.

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए

बताया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली इन नई ट्रेनें से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध हुए हैं.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 80 हजार 500 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया. वहीं, ट्रेन सेवाओं के विस्तार के

लिए लगभग 870 अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से जोड़े गए हैं.

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत और ट्रेनों के विस्तार की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है. इसके लिए परिचालनिक क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और यात्रियों की मांग जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है.

10 वंदे भारत, 14 अमृत भारत ट्रेनें दे रही सेवाएं

रेलवे के अनुसार, 22 जुलाई 2026 तक देशभर में संचालित 162 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में से 10 सेवाएं मध्य प्रदेश के स्टेशनों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं. इसी तरह देश में चल रही 72 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 14 ट्रेनें मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं. रेल मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए त्योहारों, छुट्टियों और भीभाड़ वाले समय में विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है. इसके अलावा जरूरत के अनुसार ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाते हैं.

तीन दिन की समय सीमा में निष्कापण करके संतोषजनक उत्तर न देने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी. कलेक्टर ने कहा है कि लोक सेवा गारंटी एक्ट में शामिल सेवाओं को समय सीमा

9 राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर ने दिया नोटिस

नवभारत न्यूज

रीवा, 24 जुलाई. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार गुर्वशी ने 9 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है. राजस्व न्यायालयों में अविवादित नामांतरण, सीमांकन, के प्रकरणों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी योजना के तहत निर्धारित समय में निराकरण न करने पर नोटिस दिया है.

तीन दिन की समय सीमा में निराकरण करके संतोषजनक उत्तर न देने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी. कलेक्टर ने कहा है कि लोक सेवा गारंटी एक्ट में शामिल सेवाओं को समय सीमा

नमाज पर सहमति नहीं, 29 को फिर होगी सुनवाई

- भोजशाला नमाज स्थल विवाद
- वैकल्पिक जगह पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति
- सरकार ने रखी दूरी की बात, प्रशासन और पक्षकारों की बैठक रही बेतुतीजा

संजय वाजपेई धार. भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान पर आपत्ति जताते हुए भोजशाला के निकट व्यवस्था करने की मांग रखी, जबकि राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक स्थल को लेकर अपना पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा भोजशाला के आसपास नहीं है और इससे पहले दो जुमे की नमाज प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के पूर्व निर्देशों की भावना के अनुरूप भोजशाला के निकट वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए. वहीं, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से परेवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि प्रशासन और दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है और आरोपी सहमति से उपयुक्त स्थान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार या बुधवार की तारीख देने का आग्रह किया. भोजशाला परिसर और शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा. वरिष्ठ



बैठक में नहीं बनी सहमति

इधर, गुरुवार रत रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर करीब दो घंटे चर्चा हुई, लेकिन बैठक में कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी. प्रशासन की ओर से अन्य संभावित स्थानों के प्रस्ताव भी रखे, जिन पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्तियां जताई. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसे भोजशाला के निकट स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जबकि प्रशासन द्वारा चिन्हित मालीवाड़ा स्थित चालीस पार दरगाह क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी.

अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. दूरी को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद-सुनवाई के दौरान वैकल्पिक नमाज स्थल की दूरी को लेकर भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्रशासन द्वारा सुझाया गया स्थान सड़क मार्ग से अधिक दूरी पर है. वहीं, सरकार की ओर से बताया गया कि प्रस्तावित स्थान करीब 900 मीटर की दूरी पर है. मुस्लिम पक्ष ने इसे हवाई दूरी बताते हुए सड़क मार्ग की दूरी अलग होने की बात कही.

मालीवाड़ा में भारी सुरक्षा इंतजाम, नहीं हुई नमाज-शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा क्षेत्र में चालीस पार दरगाह के पास जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हालांकि, मुस्लिम समाज की ओर से वहां नमाज अदा नहीं की. समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा

हमारी मांग ...

हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भावना के अनुरूप भोजशाला के निकट नमाज के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए. प्रशासन द्वारा सुझाए गए स्थान को लेकर हमारी आपत्ति है.

- अब्दुल समद, सदर मुस्लिम समाज प्रशासन ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की है, वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित है. न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए.

- गोपाल शर्मा, हिंदू पक्ष प्रतिनिधि

कि प्रशासन द्वारा तय स्थान को लेकर उनकी सहमति नहीं है और समाज के लोगों ने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा की.



सिंहरथ की तैयारियों में जुटी एमपी पुलिस

विशेष संवाददाता भोपाल, 23 जुलाई . सिंहस्थ-2028 की व्यापक तैयारियों के तहत मध्यप्रदेश पुलिस ने राज्यभर में प्रशिक्षण अभियान को तेज करते हुए शुक्रवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सेमिनार आयोजित किया. सेमिनार में जिला स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, मैदानी अनुभवों का आदान-प्रदान तथा पुलिस प्रशिक्षण में नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि सिंहस्थ-2028 पुलिस बल की व्यावसायिक दक्षता, समन्वय क्षमता और जलसेवा की भावना की महत्वपूर्ण परीक्षा होगी.

इवेंट कंपनी बन सकती है, शिप्रा आरती की सारथी

- विवाद के बीच चर्चाएं तेज, निजी हाथों में सौंपने की तैयारी
- रामघाट को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
- फूल प्रसाद व्यापारी और पुजारी के बीच मारपीट के बाद नया मोड़

नवभारत न्यूज उज्जैन. 3 अगस्त को भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी. परंपरा के अनुसार मोक्षदायिनी मां शिप्रा के सावन जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक और पूजन रामघाट पर होगा. इससे पहले प्रशासन ने रामघाट को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की है. इन सबके बीच अब रामघाट की प्रतिदिन होने वाली शिप्रा संस्था आरती को लेकर नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है की निजी इवेंट कंपनी को शिप्रा आरती की कमान सौंपने की तैयारी है.

23 जुलाई 2026 को रामघाट पर फूल-प्रसादी बेचने वाले व्यापारियों और शिप्रा आरती से जुड़े पुजारी के बीच हुए मारपीट विवाद के बाद पूरा मामला सुर्खियों में आ गया था. महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की थी. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, जिसके बाद शिप्रा आरती की व्यवस्था और संचालन को लेकर बहस तेज हो गई. मुनादी कराई, रामघाट हुआ खाली - विवाद के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त



कार्रवाई करते हुए रामघाट पर मुनादी कराई. आठ लाउडस्पीकर, पांच गुमटियां, एक कांस्टोर और हाथ ठेले जंबू किए गए. साथ ही स्पष्ट किया गया कि घाट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

घाट पर पालकी पूजन -रामघाट क्षेत्र के पुजारियों और धार्मिक संगठनों का कहना है कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां शिप्रा में स्नान और पूजन करने आते हैं. उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए. साथ ही बाबा महाकाल की पालकी जब रामघाट पहुंचती है, तब शिप्रा पूजन और पालकी पूजन की परंपरा भी निर्विघ्न जारी रहनी चाहिए. विरोध के वीडियो वायरल-इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी क्षेत्र पंडा समिति के संयोजक राजेश त्रिवेदी ने भी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया. उन्होंने पुलिस और नगर निगम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए. उनके बयान और विरोध के वीडियो भी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुए.

अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई ...

शिप्रा आरती को लेकर अब दो अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं. एक पक्ष का कहना है कि आरती पूरी तरह व्यावसायिक स्वरूप ले चुकी है और श्रद्धालुओं से राशि लेकर आरती कराई जाती है, इसलिए इसकी वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए. वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि शिप्रा आरती उज्जैन की धार्मिक पहचान और ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसे वाणिज्यी की गंगा आरती की तर्ज पर और अधिक व्यवस्थित एवं भव्य स्वरूप में संचालित किया जाना चाहिए.

अभी सवारी पर फोकस- हालांकि अभी तक जिला प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से शिप्रा आरती को किसी निजी संस्था को सौंपने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान सावन और महाकाल की सवारियों की व्यवस्थाओं पर केंद्रित है जब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सावन-भादों के बाद रामघाट की शिप्रा संस्था आरती को व्यवस्था को लेकर प्रशासन क्या निर्णय लेता है और क्या धार्मिक परंपरा तथा व्यवस्थागत सुधार के बीच कोई नया मॉडल सामने आता है.